

न्यायालय-प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश  
(समक्ष: श्री गोपेश गर्ग)

प्रकरण क्रमांक : 192 / 14ए इ0दी0

संस्थापन दिनांक : 09.10.2014

1. रवि आयु 12 वर्ष
2. सानू उर्फ मोनू आयु 10 वर्ष
3. अभिषेक आयु 8 वर्ष समस्त पुत्रगण हेमसिंह समस्त नाबालिग सरपरस्त राममोहन पुत्र जसवंत कुशवाह, निवासीगण ग्राम मदनपुरा (करवास) परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

---वादीगण

**बनाम**

1. हाकिमसिंह पुत्र तीतुरीप्रसाद आयु 50 वर्ष धंधा खेती जाति कुशवाह निवासी ग्राम मदनपुरा (करवास) परगना गोहद जिला भिण्ड
2. सुनीता वेवा पत्नी हेमसिंह आयु 35 वर्ष जाति जाटव धंधा गृहकार्य निवासी ग्राम मदनपुरा (करवास) परगना गोहद जिला भिण्ड
3. म0प्र0 शासन जर्गे कलेक्टर महोदय, जिला भिण्ड म0प्र0

---प्रतिवादीगण

**निर्णय**

( आज दिनांक..... को घोषित )

1. यह वाद मौजा मदनपुरा (करवास) परगना गोहद जिला भिण्ड स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 140 रकवा 0.38, 204 रकवा 0.28, 240 रकवा 0.15, 266 रकवा 0.070, 304 रकवा 0.05, 407 रकवा 0.74, 432 रकवा 0.40 कुल किता 7 कुल रकवा 2.07 है0 ( जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के रूप

में संबोधित किया जायेगा ) के 1/10 भाग का वादीगण की सीमा तक प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र प्र0पी-1 दिनांकित 25.03.14 शून्य घोषित किए जाने और प्रतिवादी क्रमांक 1 के विरुद्ध वादग्रस्त भूमि पर वादी के अधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप न करने की स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत है कि विवादित भूमि का 1/2 भाग का नाथूराम भूस्वामी था जिसकी संतान हेमसिंह है और हेमसिंह की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी सुनीता प्र0सा03 व पुत्र वादीगण विवादित भूमि के 1/10 भाग के भूस्वामी अंकित हैं। यह भी स्वीकृत है कि वादीगण अवयस्क हैं।
3. वादपत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा मदनपुरा (करवास) परगना गोहद जिला भिण्ड में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 140 रकवा 0.38, 204 रकवा 0.28, 240 रकवा 0.15, 266 रकवा 0.070, 304 रकवा 0.05, 407 रकवा 0.74, 432 रकवा 0.40 कुल किता 7 कुल रकवा 2.07 है0 ( जिसे आगे के पदों में वादग्रस्त भूमि के रूप में संबोधित किया जायेगा ) में वादी क्रमांक 4 (मृत) के पिता व वादी क्रमांक 1,2,3 के बाबा नाथूराम का हिस्सा 1/2 था। सजरा खानदान के अनुसार नाथूराम की पुत्री उषा, अंगूरी और पुत्र सरनाम, हेमसिंह व जसवंत हैं जसवंत, सरनाम और हेमसिंह की मृत्यु हो चुकी है हेमसिंह की संतान रवि, सोनू और अभिषेक हैं और पत्नी सुनीता प्र0सा03 है। नाथूराम के तीन पुत्र मृतक जसवंत, सरनाम, हेमसिंह व दो पुत्री उषा, अंगूरी, नाथूराम के मरने के बाद उत्तराधिकारी हुए। वादग्रस्त भूमि के भाग 1/10 का वादी क्रमांक 4 (मृत) व 1/10 का सरनाम (मृत) तथा भाग 1/10 के हेमसिंह (मृत) व 1/10 की उषा व 1/10 की अंगूरी भूमिस्वामी आधिपत्यधारी थे। हेमसिंह के वारिस वादीगण पुत्रगण व प्रतिवादी क्रमांक 2 पत्नी होकर हुए और तदनुसार पटवारी रिकार्ड पर इन्द्राज हुआ है और ऋण पुस्तिका पटवारी ने बनाकर दी है। वादी क्रमांक 4 जसवंत (मृत) के हेमसिंह सगे भाई थे सुनीता प्र0सा03 हेमसिंह की विधवा पत्नी है जो 35 वर्षीय युवा है हेमसिंह फरवरी सन 2013 में फागुन माह में फौत हुए उनके मरने के बाद वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 2 का नामांतरण हुआ जिसमें प्रतिवादी क्रमांक 2 सुनीता प्र0सा03 को उन नाबालिगों का सरपरस्त गलत अंकित करवा लिया गया। जैसे ही नामांतरण हुआ और ऋण पुस्तिका बनी उसके बाद सुनीता प्र0सा03 के व्यवहार व चाल चलन में बदलाव आना प्रारंभ हो गया और वह इधर उधर भटक कर आने लगी। प्रतिवादी क्रमांक 2 सुनीता प्र0सा03, वादीगण की गलत रूप से पटवारी रिकार्ड पर वाद भूमि में संरक्षक लिख गयी थी जबकि उसने वादीगण की कोई देखरेख सुरक्षा व्यवस्था नहीं की। प्रतिवादी क्रमांक 2 अन्यत्र व्यक्तियों से अपना पुनर्विवाह करना चाहती है और वादीगण की संपत्ति जोकि नाबालिगान है की संपत्ति को खुरद बुर्द करने का षडयंत्र प्रारंभ कर दिया है। जबकि वादीगण नाबालिग हैं और उनकी संपत्ति को बिना शासन अथवा न्यायालय की अनुमति के प्रतिवादी क्रमांक 2 सुनीता प्र0सा03 को अन्यत्र किसी को विक्रय करने का अधिकार नहीं है।
4. वादपत्र में यह भी अभिवचन किया है कि, प्रतिवादी क्रमांक 2 सुनीता प्र0सा03 जोकि राजस्व अभिलेख में वादभूमि पर वादीगण की सरपरस्त

अंकित उसका नाजायज उपयोग करते हुए बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के व बिना किसी आवश्यकता के दिनांक 25.03.14 को प्रतिवादी क्रमांक 1 हाकिम प्र0सा01 के हक में विक्रय पत्र प्र.पी.1 सम्पादित कर दिया है जोकि प्रतिवादी क्रमांक 2 सुनीता प्र0सा03 को करने का कोई अधिकार नहीं था। कानून के अनुसार वादीगण जो नाबालिग हैं उनके हिस्से की भूमि को अंतरण करने का प्रतिवादी क्रमांक 2 को कोई अधिकार नहीं था और न ऐसे विक्रय पत्र प्र.पी.1 के आधार पर प्रतिवादी हाकिम प्र0सा01 को कोई हक प्राप्त होते हैं। उपरोक्त विक्रय पत्र प्र.पी.1 षडयंत्रपूर्वक गोपनीय तौर से प्रतिवादी क्रमांक 2 से कराया है। उपरोक्त विक्रय पत्र प्र.पी.1 में प्रतिवादी क्रमांक 2 सुनीता प्र0सा03 द्वारा वादीगण के रकवा सहित उसका संपूर्ण हिस्सा 1/10 का विक्रय किया है। उपरोक्त विक्रय पत्र प्र.पी.1 एक संयुक्त खाते की कृषि भूमि में से किया गया है। कानून के अनुसार अन्य सहकृषक थे संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति का वादी क्रमांक 4 (मृत) सहकृषक है। सहकृषक की सहमति के बिना भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है और ऐसे संयुक्त संपत्ति के क्रेता को कोई हक व कब्जा प्राप्त नहीं होते हैं। प्रतिवादी क्रमांक 1 हाकिम प्र0सा01 इस विवादित संपत्ति खाते में पहले से भी कोई हिस्सेदार नहीं रहे हैं इसलिए वह वादभूमि में कब्जा कर खेती करने के अधिकारी भी नहीं हैं। ऐसे विक्रय पत्र प्र.पी.1 से प्रतिवादी को कोई स्वत्व एवं अधिपत्य प्राप्त नहीं होते हैं वह विक्रय पत्र प्र.पी.1 वादीगण के हक तक निस्वत्व एवं प्रभावहीन होकर शून्यवत है। दिनांक 10.09.14 को प्रतिवादी हाकिम प्र0सा01 ने वादभूमि खाते में जबरन भूमि पर कब्जा करने को आया और कहा कि उसने इस संपूर्ण खाते का हिस्सा 1/10 सुनीता प्र0सा03 से क्रय कर लिया है और जबरन उक्त खाते में खेती करेगा। जब वादी क्रमांक 4 जसमंत (मृत) के द्वारा कब्जा करने से रोका तब प्रतिवादी हाकिम प्र0सा01 झगड़ा करने पर आमादा हो गया तब उपरोक्त विक्रय पत्र प्र.पी.1 की नकल का आवेदन उप पंजीयक कार्यालय गोहद में दिनांक 10.09.14 को पेश किया और नकल दिनांक 15.09.14 को प्राप्त हुई तब विक्रय पत्र प्र.पी.1 की जानकारी हुई है। प्रतिवादी द्वारा कथित विक्रय पत्र प्र.पी.1 के आधार पर अभी राजस्व अभिलेख में नामांतरण भी नहीं हुआ है। अतः विक्रय पत्र प्र.पी.1 वादीगण की सीमा तक शून्य घोषित किए जाने और विवादित भूमि पर वादीगण के अधिपत्य में हस्तक्षेप न करने की स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है।

5. प्रतिवादी क्र 1 ने जबाब पेश कर स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त वादपत्र प्र.पी.1 के तथ्यों को अस्वीकार कर व्यक्त किया है कि हेमसिंह के मरने के बाद वादीगण एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 सुनीता प्र0सा03 का विधिवत नामांतरण वादी क्रमांक 4 (मृत) की जानकारी में हुआ है तथा नामांतरण वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 2 सुनीता प्र0सा03 की सरपरस्ती में विधिवत स्वीकार किया गया है और सुनीता प्र0सा03 ही वादीगण की वैध संरक्षक है क्योंकि वह उनकी मां है तथा नाबालिगान वादीगण प्रतिवादी क्रमांक 2 सुनीता प्र0सा03 की सरपरस्ती में रहते चले आ रहे हैं और सुनीता प्र0सा03 ही उनका भरण पोषण करती चली आ रही है। वादी क्रमांक 4 (मृत) प्रतिवादी क्रमांक 2 को परेशान करता था और प्रतिवादी क्रमांक 2 को उसके घर पर रहने में भी बाधा उत्पन्न करता रहा है वादी क्रमांक 4 (मृत) कोई भी देखरेख वादीगण की नहीं कर रहा है और ना ही वादीगण वादी क्रमांक 4(मृत)

की सरपरस्ती में रहते हैं। प्रतिवादी सुनीता प्र0सा03 द्वारा वादीगण का सरपरस्त पटवारी रिकार्ड में मां होने से सही संरक्षक लिखा गया है। नाबालिग बच्चों की भरण पोषण एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विक्रय पत्र प्र.पी.1 किया गया है शासन से अथवा न्यायालय से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी क्रमांक 2 के पास आय का कोई साधन नहीं है भरण पोषण के लिये विक्रय एवं नाबालिगान के हितों की सुरक्षा हेतु बयनामा किया है जो वैधानिक है। नाबालिगान के भरण पोषण तथा जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिनांक 25.03.14 को प्रतिवादी के हक में विधिवत विक्रय पत्र प्र.पी.1 संपादित किया गया है जो पूर्णतः सही है। विक्रय पत्र प्र.पी.1 दिनांक से प्रतिवादी हाकिम प्र0सा01 को भूमि स्वामी के स्वत्व प्राप्त हैं तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 हाकिम प्र0सा01 का नामांतरण स्वीकार होकर राजस्व अभिलेख में हिस्सा 1/10 पर भूमिस्वामी अंकित किया गया है। सहकृषक को अपने भाग को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। विक्रेता अपने बच्चों के साथ अलग निवास करती है तथा जमीन का घर व्यवस्थापन आज से करीब 15 साल पूर्व कर दिया गया था जिसके अनुसार सुनीता प्र0सा03 का 1/10 भाग 432 रकवा 40 विश्वा में से 0.15 पूर्व पश्चिम देवलाल के खेत से लगा है तथा आराजी नंबर 140 रकवा 0.38 में से रकवा 5 विश्वा पूर्व दिशा की ओर जोत रही थी इसी घर व्यवस्था के आधार पर सुनीता प्र0सा03 ने प्रतिवादी को कब्जा दिया था तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 इसी अनुसार मौके पर काबिज होकर खेती रहा है। जबकि घर व्यवस्था के अनुसार बंटवारा था और उसी अनुसार कब्जा दिया गया है तथा बयनामा वैध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है जो पूर्णतः वैधानिक है। विक्रय पत्र प्र.पी.1 नाबालिगान की जानकारी में उनकी सहमति से भी किया गया है। रवि की आयु 12 साल है और वह निकट भविष्य में बालिग हो जावेगा। नाबालिगान के हित सुनीता प्र0सा03 के हितों से विपरीत नहीं है क्योंकि वह उनकी मां है। सुनीता प्र0सा03 द्वारा घर व्यवस्थापन के आधार पर जो कब्जा दिया गया है उस पर हाकिम प्र0सा01 का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है इसलिए जबरन कब्जा करने का प्रश्न ही नहीं है। विक्रय पत्र प्र.पी.1 के आधार पर विधिवत नामांतरण स्वीकार होकर राजस्व अभिलेख में 1/10 भाग पर भूमिस्वामी अंकित किया जा चुका है जिसकी जानकारी वादीगण को है उन्होंने उक्त नामांतरण के आदेश को अभी तक कहीं चुनौती भी नहीं दी है। वादीगण ने कब्जा वापिसी की प्रार्थना नहीं की है। जसवंत सिंह को दावा लाने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह वैध संरक्षक नहीं है और वादीगण सुनीता प्र0सा03 के संरक्षण में रह रहे हैं। विवादित भूमि में वासुदेव आदि झगड़ा पैदा कर रहे हैं इसलिए उसने स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्र0क्र0 197ए/14 प्रस्तुत किया है जो इसी न्यायालय में संचालित है जिससे बचने के लिए यह वाद पेश किया है। अतः वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

6. प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 एकपक्षीय रहे हैं जिनके द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।
7. प्रकरण के निराकरण के लिए निम्न वादप्रश्न विरचित किए गए हैं जिन पर प्राप्त निष्कर्ष प्रत्येक के समक्ष अंकित किए गए हैं।

#### वाद प्रश्न

#### निष्कर्ष

1. क्या भूमि सर्वे क्रमांक 140 रकवा 0.38 है0, भूमि सर्वे क्रमांक 204 रकवा 0.28 है0, भूमि सर्वे क्रमांक 240, रकवा 0.15 है0, भूमि सर्वे क्रमांक 266 रकवा 0.070 है0, भूमि सर्वे क्रमांक 304



रकवा 0.05 है0, भूमि सर्वे क्रमांक 407 रकवा 0.74 है0, भूमि सर्वे क्रमांक 432 रकवा 0.40 है0 कुल रकवा 2.07 है0 स्थित मौजा मदनपुरा (करवास) परगना गोहद जिला भिण्ड में हेमसिंह का भाग 1/10 का प्रतिवादी क्रमांक 2 द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 1 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र प्र.पी.1 दिनांकित 25.03.14 वादीगण क्रमांक 1 लगायत 3 के सीमा तक शून्य है ?

2. क्या उक्त वादग्रस्त भूमि के नाथूराम के 1/10 भाग के 3/4 भाग पर वादीगण क्रमांक 1 लगायत 3 का अधिपत्य है ?

3. क्या उक्त वादग्रस्त भूमि के नाथूराम के 1/10 भाग के 3/4 भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादीगण के अधिपत्य में अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?

4. क्या वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया है ?

5. सहायता एवं व्यय ?

// वाद प्रश्न क्रमांक 1 पर सकारण निष्कर्ष //

8. राममोहन वा0सा01 ने कथन किया है कि विवादित भूमि में नाथूराम का 1/2 भाग का हिस्सा था नाथूराम के तीन बेटे जसवंत, सरनाम, हेमसिंह, और दो बेटी उषा और अंगूरी थी जो नाथूराम के वारिस थे। विवादित भूमि के 1/10 भाग का हेमसिंह भूस्वामी था और हेमसिंह दो-ढाई साल पहले मरने के बाद नाबालिग पुत्र रवि, सोनू, अभिषेक और पत्नी सुनीता प्र0सा03 हेमसिंह के वारिस हुए और तदानुसार उनका पटवारी रिकार्ड में इन्द्राज हुआ और उनका नामांतरण हुआ जिसमें सुनीता प्र0सा03 को वादीगण का गलत सरपरस्त अंकित किया गया। सुनीता प्र0सा03 के व्यवहार में नामांतरण के बाद बदलाव आया। जसवंत वादीगण की विवादित संपत्ति की देखभाल और व्यवस्था करते थे और जसवंत की 8-9 माह पूर्व मृत्यु होने के बाद वादीगण की देखभाल वह स्वयं कर रहा है और उसी की सरपरस्ती में वादीगण है। सुनीता प्र0सा03 पुनः विवाह करना चाहती है। सुनीता प्र0सा03 ने बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए और बिना आवश्यकता के वादीगण की विवादित संपत्ति हाकिम प्र0सा01 को दो वर्ष पूर्व विक्रय कर दी जिसे सुनीता प्र0सा03 को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। सुनीता प्र0सा03 ने संयुक्त खाते की भूमि को विक्रय किया है और बिना सहकृषक की सहमति के उसे विक्रय करने का अधिकार नहीं है और हाकिम प्र0सा01 पहले से हिस्सेदार नहीं था। वह वादीगण के बालिग होने तक उनकी देखभाल करता रहेगा और उनकी संपत्ति को हस्तांतरित नहीं करेगा। छविराम वा0सा02 और प्रहलाद वा0सा03 ने मुख्यपरीक्षण में राममोहन वा0सा01 के उक्त कथन का समर्थन किया है।
9. वादी ने विवादित भूमि का खसरा प्र0पी-4 प्रस्तुत किया है जिसमें वादग्रस्त भूमि का 1/2 भाग का नाथूसिंह भूस्वामी उल्लिखित है। नाथूसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्र0पी-6 वादीगण ने प्रस्तुत किया है। वादीगण ने भू-अधिकार

ऋण पुस्तिका प्र0पी-5 प्रस्तुत की है जिसमें नाथूसिंह की मृत्यु के बाद सुनीता प्र0सा03 व वादीगण विवादित भूमि के 1/10 भाग के भूस्वामी उल्लिखित हैं। सुनीता प्र0सा03 द्वारा वादीगण का और स्वयं का अपना 1/10 भाग प्रतिवादी क्रमांक 1 को विक्रय किए जाने के विक्रय पत्र प्र.पी.1 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी-1 प्रस्तुत की है।

10. हाकिम प्र0सा01 ने कथन किया है कि विवादित भूमि के 1/10 भाग का हेमसिंह भूस्वामी था जिसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र वादीगण और पत्नी सुनीता प्र0सा03 का नामांतरण हुआ। हेमसिंह टी.बी. की बीमारी का मरीज था। उसके इलाज के लिए सुनीता प्र0सा03 ने कर्ज लेकर खर्च किया था और नाबालिग वादीगण का भरण पोषण और शिक्षा के लिए सुनीता प्र0सा03 के पास आय का कोई साधन नहीं था। एक बीघा जमीन से 6-7 हजार रुपये की फसल से वादीगण का पालन पोषण नहीं हो पा रहा था और सुनीता प्र0सा03 के देवर व जेट वादग्रस्त भूमि पर उसे खेती करने नहीं दे रहे थे। इसलिए सुनीता प्र0सा03 ने स्वयं और वादीगण के सरपरस्त की हैसियत से विवादित भूमि एक लाख नब्बे हजार रुपये में उसे विक्रय की और हेमसिंह के समय से घरू बंटवारे के अनुसार सर्वे क्रमांक 432 में से 15 विश्वा पर और सर्वे क्रमांक 140 में से 5 विश्वा पर सुनीता प्र0सा03 द्वारा उसे कब्जा दिया गया। वादीगण जसवंत और राममोहन वा0सा01 की सरपरस्ती में नहीं रहे और सुनीता प्र0सा03 की ही सरपरस्ती में रह रहे हैं। सुनीता प्र0सा03 ने भी हाकिम प्र0सा01 के कथन का समर्थन किया है और उपरोक्तानुसार ही साक्ष्य दी है और अतिरिक्त रूप से बताया है कि नाथूसिंह की मृत्यु के बाद उसे एक बीघा भूमि में हिस्सा मिला था जिसमें से एक खेत दो बीघा का जिसमें से 15 विश्वा जमीन पश्चिम दिशा की तरफ और दूसरा खेत दो बीघा का जिसमें 5 विश्वा जमीन पूर्व दिशा की तरफ घरू बंटवारे के रूप में मिली थी। जसवंत और राममोहन वा0सा01 उसे घर में नहीं रहने देते थे और परेशान करते थे और जब वह भाड़े से खेती कराती थी तब मवेशी उसे उजाड़ देते थे और वादीगण आज भी उसी के साथ रह रहे हैं और वही परवरिश कर रही है। सिरनाम प्र0सा02 ने भी हाकिम प्र0सा01 और सुनीता प्र0सा03 के उपरोक्त कथन का समर्थन किया है।

11. वादी ने इस संबंध में न्यायदृष्टांत **गनेशराम बनाम रूपनारायण व अन्य 2000 राजस्व निर्णय 297** प्रस्तुत किया है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि अवयस्क की संपत्ति उसकी माता विक्रय नहीं कर सकती है क्योंकि उसका पिता संरक्षक था और वह भी बिना जिला जज की अनुमति के विक्रय नहीं कर सकता था और ऐसा विक्रय शून्य है और न्यायदृष्टांत **जरीना सिद्दीकी बनाम रामलिंगन 2015 (2) एस.सी.सी.डी. 896** प्रस्तुत किया है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने की अधिकारिता है। न्यायदृष्टांत **सुंदरी बनाम थिलकवती ए.आई.आर. 1988 मद्रास 183** प्रस्तुत किया है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां अवयस्क को पिता को छोटे भाई के साथ किए गए व्यवस्थापन में संपत्ति मिली है तब पिता बिना न्यायालय की अनुमति के संपत्ति हस्तांतरित नहीं कर सकता है। न्यायदृष्टांत **नरेन्द्रसिंह बनाम देवेन्द्रसिंह ए.आई.आर. 1982 पंजाब व हरियाणा 201** में अभिनिर्धारित किया गया है कि अचल संपत्ति का अवयस्क के संरक्षक द्वारा बिना अनुमति के किया गया विक्रय अवैध है। वादपत्र में भी मुख्य आपत्ति यही है कि सुनीता प्र0सा03 द्वारा वादीगण की संपत्ति बिना अनुमति के विक्रय की गयी है इस कारण संव्यवहार अवैध है।

इस संबंध में प्रतिवादीगण ने न्यायदृष्टांत **राधाकृष्णदास बनाम कालूराम ए.आई.आर. 1968 सु.को. 574** प्रस्तुत किया है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि पिता द्वारा अवयस्क की संपत्ति को हस्तांतरित करने पर यह साबित करना होगा संव्यवहार विधिक आवश्यकता के लिए था और प्रतिफल कैसे उपयोग किया गया यह साबित करना आवश्यक नहीं है। न्यायदृष्टांत **अरुण कुमार बनाम चंद्रवती ए.आई.आर. 1978 इलाहाबाद 221** में अभिनिर्धारित किया गया है कि पिता सहदायिक संपत्ति के अवयस्क के हित को अवयस्क के हित के लिए विक्रय कर सकता है। न्यायदृष्टांत **बाबा साहेब बनाम लक्ष्मीबाई 2007 (2) एम. पी.एल.जे. 531** में अभिनिर्धारित किया गया है कि अवयस्क की मां द्वारा अवयस्क के पिता के कर्ज और अवयस्क के भरण पोषण के लिए विक्रय की जाने पर ऐसा विक्रय संव्यवहार अवैध नहीं होता है और वह बंधनकारी होता है। प्रतिवादीगण ने भी प्रमुख आपत्ति यही ली है कि विक्रय संव्यवहार वादीगण के भरण पोषण और उनके पिता की टी.बी. के उपचार में हुए व्यय की पूर्ति के लिए किया गया है।

12. राममोहन वा0सा01 ने पैरा 10 में बताया है कि हेमसिंह 33-34 वर्ष की उम्र में खत्म हो गये थे उन्होंने पूरे दिन सरसों की फसल काटी और रात में पता नहीं क्या हुआ और हेमसिंह खत्म हो गया और इस सुझाव से इंकार किया है कि हेमसिंह की टी.बी. से मृत्यु हुई थी। छविराम वा0सा02 ने पैरा 5 में वर्ष 2013 में हेमसिंह की मृत्यु होने से इंकार किया है और प्रहलाद वा0सा03 ने पैरा 6 में बताया है कि हेमसिंह के गले पर दवाने के चिन्ह थे लेकिन हेमसिंह के पिता के मना करने पर हेमसिंह का शव उठाने आये 4-5 लोगों में से किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी। अतः हेमसिंह की मृत्यु अल्प आयु में हुई है परन्तु कोई भी साक्षी यह स्पष्ट बताने में असमर्थ रहा है कि हेमसिंह की मृत्यु कैसे हुई छविराम वा0सा02 ने संपूर्ण जानकारी होना बतायी है लेकिन उसे हेमसिंह की मृत्यु वर्ष की ही जानकारी नहीं है। राममोहन वा0सा01 ने संपूर्ण दिन हेमसिंह के कार्य करने के बाद एकदम से उसकी मृत्यु होना और उसका भी कारण पता न होना कि अस्वाभाविक साक्ष्य दी है जबकि वह उसका भतीजा है और प्रहलाद वा0सा03 ने हेमसिंह की हत्या की आशंका व्यक्त की है जिसकी भी सूचना पुलिस को हेमसिंह के पिता द्वारा ही मना करने के आधार पर न दिया जाना बताया है। अतः हत्या के अपराध को मात्र मृतक के पिता के मना करने के कारण छिपाया जाना अस्वाभाविक है और हेमसिंह की हत्या के संबंध में स्वयं राममोहन वा0सा01 ने कोई कथन नहीं किया है। अतः हेमसिंह की मृत्यु कैसे हुई यही वादी साक्षीगण बताने में असमर्थ रहे हैं। सुनीता प्र0सा03 को प्रतिपरीक्षण के पैरा 4 में हेमसिंह की उपचार के चिकित्सीय परीक्षण के दस्तावेज पेश न किए जाने के सुझाव दिए गए हैं लेकिन उसके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि उसके मुख्यपरीक्षण में दिए कथन का खण्डन होता है कि हेमसिंह की मृत्यु टी.बी. से नहीं हुई। अतः जबकि वादी साक्षीगण को ही हेमसिंह की अल्प आयु की मृत्यु का ज्ञान नहीं है तब सुनीता प्र0सा03 की अखण्डित मौखिक साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण परिलक्षित नहीं होता है। जिससे हेमसिंह की मृत्यु अप्राकृतिक बीमारी के कारण होना प्रमाणित होती है।

13. सुनीता प्र0सा03 को पैरा 4 व 5 में उपचार के व्यय के संबंध में सुझाव दिए गए हैं कि उसने उपचार के लिए भरतलाल से कर्जा लिया था लेकिन उसके जीवित रहते हुए भी उसकी साक्ष्य नहीं कराई और न ही इस संबंध में विक्रय पत्र प्र0पी-1 में कोई उल्लेख किया है। हाकिम प्र0सा01 को भी पैरा 6 में इस आशय के सुझाव दिए गए हैं कि हेमसिंह ने भरतलाल से कर्जा लिया था लेकिन

भरतलाल की साक्ष्य नहीं कराई गयी है। सिरनाम प्र0सा02 ने भी पैरा 4 में कथन किया है कि विक्रय पत्र प्र0पी-1 में यह लिखाया था कि नहीं कि हेमसिंह की बीमारी के खर्चे के लिए कर्जा लिया था यह उसे ज्ञात नहीं है। वह हेमसिंह के इलाज के लिए सुनीता प्र0सा03 द्वारा कर्जा लेते समय वह नहीं गया। हेमसिंह की मृत्यु टी.बी. के कारण होना प्रमाणित हुई है उसके उपचार में उसके भाई अथवा पिता ने कोई सहयोग किया हो ऐसी न तो साक्ष्य दी गयी है और न ही अभिवचन किया गया है। अतः जबकि उसके उपचाररत रहते हुए उसकी मृत्यु हुई है तब उसके उपचार में कोई व्यय न हुआ हो यह स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है और जबकि उसके उपचार में हुए व्यय को उसके पिता अथवा भाई ने वहन नहीं किया तब उसकी पत्नी जोकि कोई आय अर्जित करती थी ऐसा प्रमाणित नहीं हुआ है तब उपचार के व्यय में अन्य लोगों से राशि मांगा जाना अस्वाभाविक या अविश्वसनीय नहीं है जिससे हेमसिंह के उपचार हेतु सुनीता प्र0सा03 द्वारा कर्ज लिया जाना संभावना की प्राबल्यता के आधार पर प्रमाणित होता है।

14. राममोहन वा0सा01 ने पैरा 11 में बताया है कि एक वर्ष में एक बीघा जमीन से 7-8 हजार रुपये की फसल होती है और सुनीता प्र0सा03 के पास इस जमीन के अलावा आय का कोई अन्य साधन नहीं था उसके चाचा के मरने के बाद वादीगण पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे और पहले उसके पिता अब भाई पढ़ाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया कि उनके द्वारा वादीगण की पढ़ाई की फीस का उल्लेख हो और इस सुझाव से इंकार किया है कि वादीगण सुनीता प्र0सा03 के साथ ही रह रहे हैं और वही परवरिश कर रही है और उनके भरण पोषण के लिए सुनीता प्र0सा03 ने विवादित भूमि विक्रय की है और पैरा 15 में कथन किया है कि हेमसिंह की मृत्यु के बाद सुनीता प्र0सा03 ने दूसरी शादी कर ली थी इसलिए उसे कोई गल्ला या रुपया नहीं दिया गया और पैरा 16 में स्वीकार किया है कि सुनीता प्र0सा03 के पास आय का कोई साधन नहीं है। छविराम वा0सा02 ने पैरा 5 में कथन किया है कि सुनीता प्र0सा03 ने दूसरी शादी कर ली हो तो उसे जानकारी नहीं है। सुनीता प्र0सा03 कहां रहती है उसे नहीं पता और पैरा 6 में बताया है कि सुनीता प्र0सा03 के हिस्से में आई एक बीघा जमीन से केवल दो हजार रुपये की फसल होती है। सुनीता प्र0सा03 कहीं नौकरी नहीं करती थी और उसके पास इस भूमि के अलावा अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कोई साधन नहीं है। प्रहलाद वा0सा03 ने पैरा 4 में बताया है कि पहले बच्चे राममोहन वा0सा01 के साथ रहते थे और साक्ष्य के दौरान उपस्थित वादीगण को पहचानकर इस साक्षी ने कथन किया है कि उसने सुनीता प्र0सा03 के बच्चों को 2-4 साल से नहीं देखा है और 2-4 साल पहले वादीगण गांव में रहते थे और अब कहां रहते हैं और उनकी परवरिश कौन कर रहा है उसे नहीं पता और साक्ष्य के दौरान सुनीता प्र0सा03 को पहचानकर वादी अभिषेक और सोनू भी सुनीता प्र0सा03 के साथ ही आना स्वीकर किया है और यह भी स्वीकार किया है कि उनका भरण पोषण सुनीता प्र0सा03 कर रही है और 4-5 साल पहले राममोहन वा0सा01 भरण पोषण करता था और पैरा 8 में स्वीकार किया है कि सुनीता प्र0सा03 के पास एक बीघा जमीन है और हेमसिंह की मृत्यु के बाद सुनीता प्र0सा03 के पास एक बीघा जमीन के अलावा बच्चों को पालने के लिए कोई साधन नहीं था। एक बीघा जमीन से 9-10 हजार रुपये की आय होती है और कथन किया है कि सुनीता प्र0सा03 मजदूरी कर सकती थी और पैरा 9 में स्वीकार किया है कि उसके बच्चे मजदूरी करने के लायक नहीं हैं और कथन किया है कि उसे नहीं मालूम कि सुनीता प्र0सा03 बच्चों को पढ़ा रही है। रामगोपाल ने पैरा 15



में और छविराम वा0सा02 ने पैरा 6 में इस आशय के सुझावों से इंकार किया है कि हेमसिंह की मृत्यु के बाद सुनीता प्र0सा03 को जसवंत आदि कृषि नहीं करने देते थे।

15. सुनीता प्र0सा03 ने पैरा 7 में कथन किया है कि उसने जमीन बेचकर अपने छोटे बच्चों के नाम कोई भूमि नहीं खरीदी है और बैंक में भी पैसा जमा नहीं किया है और पैरा 8 में स्वीकार किया है कि उसने नाबालिगों की जमीन बेचने के लिए कलेक्टर से लेकर किसी अन्य अधिकारी से अनुमति नहीं ली और इंकार किया है कि बच्चे अर्थात् वादीगण की देखभाल जसवंत संरक्षक के रूप में करता है। हाकिम प्र0सा01 ने भी पैरा 7 में स्वीकार किया है कि वादीगण की भूमि विक्रय करने के लिए न्यायालय से अनुमति नहीं ली और सुनीता प्र0सा03 ने अन्यत्र भूमि वादीगण के नाम से नहीं खरीदी है। सिरनाम प्र0सा02 ने पैरा 5 में कथन किया है कि विक्रय पत्र प्र0पी-1 के विक्रय पत्र प्र.पी.1 की प्रतिफल की राशि कहां जमा की गयी उसे नहीं मालूम।
16. अतः विक्रय पत्र प्र0पी-1 निष्पादित करने के पूर्व धारा 8 हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षता अधिनियम 1956 के अधीन विक्रय पूर्व अनुमति नहीं ली गयी है। राममोहन वा0सा01 ने वादीगण को स्वयं की एवं पूर्व में जसवंत की संरक्षता में निवास करना बताया है लेकिन सुनीता प्र0सा03 ने वादीगण को स्वयं की संरक्षता में निवास करना बताया है। साक्ष्य के दौरान वादीगण का न्यायालय में उपस्थित होने पर प्रहलाद वा0सा03 ने उपरोक्तानुसार स्पष्ट कथन किया है कि 2-4 साल से वादीगण सुनीता प्र0सा03 के साथ ही रह रहे हैं और उसके पूर्व गांव में रहते थे अर्थात् वाद प्रस्तुति दिनांक को प्रहलाद वा0सा03 के कथनानुसार वादीगण सुनीता प्र0सा03 के साथ ही निवास करते थे। सुनीता प्र0सा03 के कथन भी प्रतिपरीक्षण में इस बिन्दु पर खण्डित नहीं हो पाये हैं कि वादीगण उसके साथ निवास नहीं करते हैं। अतः स्वयं वादी साक्षी प्रहलाद वा0सा03 ने वादीगण का अपनी माता सुनीता प्र0सा03 के साथ ही निवास करना बताया है और उसी के द्वारा ही पालन पोषण करना बताया है। राममोहन वा0सा01 ने भी वादीगण का शिक्षणरत होना बताया है लेकिन शिक्षा अथवा भरण पोषण का व्यय उसके द्वारा प्रदान किए जाने का कोई दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया है। अतः वादी की साक्ष्य से ही वादीगण का सुनीता प्र0सा03 के पास रहना प्रमाणित होता है और वादीगण का सुनीता प्र0सा03 के साथ रहते हुए राममोहन वा0सा01 द्वारा व्यय वहन कर भरण पोषण किया जा रहा है यह दस्तावेजी प्रमाण के अभाव में सिद्ध नहीं होता है। अतः वादीगण के राममोहन वा0सा01 तथा जसवंत सिंह द्वारा पालनपोषण करना प्रमाणित नहीं होता है।
17. उपरोक्तानुसार राममोहन वा0सा01 ने स्वीकार किया है कि उन्होंने सुनीता प्र0सा03 को गल्ला और रुपया नहीं दिया। राममोहन वा0सा01 छविराम वा0सा02 और प्रहलाद वा0सा03 ने स्वीकार किया है कि सुनीता प्र0सा03 के पास विवादित एक बीघा भूमि के अलावा आय का कोई साधन नहीं था और उक्त भूमि से भी वार्षिक दस हजार रुपये से कम भी आय अर्जित होना छविराम वा0सा02 और प्रहलाद वा0सा03 ने स्वीकार किया है। अतः जबकि राममोहन वा0सा01 द्वारा सुनीता प्र0सा03 को गल्ला अथवा रुपया नहीं दिया जा रहा था और सुनीता प्र0सा03 के पास विवादित भूमि के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था और उक्त भूमि से भी आय का स्रोत दस हजार रुपये से कम वार्षिक है जो स्वाभाविक रूप से चार व्यक्तियों के वार्षिक भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है तब सुनीता प्र0सा03 को स्वयं और वादीगण के भरण पोषण के लिए विवादित भूमि को विक्रय

करने की आवश्यकता नहीं थी यह स्पष्ट नहीं होता है। सुनीता प्र0सा03 और हाकिम प्र0सा01 ने स्वीकार किया है कि विवादित भूमि विक्रय करने के बाद वादीगण के नाम से अन्य कोई भूमि क़य नहीं की गयी है सिरनाम प्र0सा02 ने भी विक्रय प्रतिफल की उपयोगिता प्रमाणित नहीं की है। उपरोक्तानुसार सुनीता प्र0सा03 का वादीगण का भरण पोषण करने हेतु विवादित भूमि के अलावा अन्य कोई आय का स्रोत स्पष्ट नहीं हुआ है। सुनीता प्र0सा03 ने विवादित भूमि निर्धारित प्रतिफल से कम कीमत पर विक्रय की है यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है। विवादित भूमि को विक्रय किया जाना आवश्यक नहीं था यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः जबकि विवादित भूमि का ही विक्रय वादीगण के भरण पोषण हेतु किया गया है तब उसी प्रतिफल से अन्य भूमि क़य किया जाना स्वमेव स्वाभाविक नहीं है क्योंकि प्रतिफल का उपयोग अन्य भूमि को क़य किए जाने की दशा में वादीगण का भरण पोषण ही संभव नहीं रहता है। अतः सुनीता प्र0सा03 को वादीगण का भरण पोषण करने हेतु विवादित भूमि को विक्रय किए जाने की स्वाभाविक आवश्यकता भी सिद्ध होती है। विक्रय पत्र प्र0पी-1 में भी उल्लेख है कि निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व नाबालिगों के लिए अन्य संपत्ति खरीदने और उनके भरण पोषण शिक्षा और संरक्षण संबंधी व्यवस्थाओं के लिए रुपये की आवश्यकता है इसलिए भूमि विक्रय की जा रही है विक्रय पत्र प्र.पी.1 में यह नहीं लिखा है कि अचल संपत्ति की क़य किया जाना है। अतः यह स्वमेव निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि अचल संपत्ति ही क़य करने के लिए सुनीता प्र0सा03 बाध्य थी। अतः विक्रय पत्र प्र0पी-1 में भी वादीगण के भरण पोषण की आवश्यकता स्पष्ट की गयी है। संपूर्ण विक्रय प्रतिफल का उपयोग किस प्रकार किया गया यह उपरोक्त न्यायदृष्टांत **राधाकृष्णदास** के आलोक में आवश्यक भी नहीं है।

18. वादीगण की अन्य आपत्ति है कि बिना विभाजन के विशिष्ट भाग अंतरित नहीं किया जा सकता है। विक्रय पत्र प्र0पी-1 में 0.20 है0 भूमि विक्रय किए जाने का उल्लेख है लेकिन चतुरसीमा का उल्लेख नहीं है और न ही किस सर्वे नंबर में से कितना रकवा विक्रय किया गया है यह बताया गया है। लेकिन हाकिम प्र0सा01 ने प्रथम बार मुख्यपरीक्षण में सर्वे क्रमांक 432 में से 15 विश्वा और सर्वे क्रमांक 140 में से 5 विश्वा भूमि सुनीता प्र0सा03 से क़य करना बताया है। सुनीता प्र0सा03 ने पैरा 6 में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि का शामिल शरीक खाता है और तहसील में कभी बंटवारा नहीं कराया है। स्वतः कथन किया है कि ससुर ने घोरावा में बांट दिया था लेकिन पैरा 4 में बताया है कि किस सर्वे नंबर में से नाथू की मृत्यु के बाद एक बीघा जमीन का हिस्सा मिला वह नहीं बता सकती। अतः घज़र में हुए बंटवारे के संबंध में भी कोई तथ्य सुनीता प्र0सा03 नहीं बता पाई है। क़ेता हाकिम प्र0सा01 ने भी पैरा 7 में स्वीकार किया है कि विक्रय पत्र प्र0पी-1 में घरू बंटवारे के अनुसार कब्जा दिया जाना वर्णित नहीं है। अतः विक्रय पत्र प्र0पी-1 में भी बंटवारे का तथ्य उल्लिखित नहीं है। सिरनाम प्र0सा02 ने भी पैरा 4 व 5 में कथन किया है कि उसके सामने तहसील में अथवा हेमसिंह, जसवंत व सिरनाम प्र0सा02 के मध्य बंटवारा नहीं हुआ। अतः प्रतिवादी साक्षीगण के कथन से नाथूसिंह के उत्तराधिकारियों के मध्य बंटवारा होना प्रमाणित नहीं होता है। राममोहन वा0सा01 ने पैरा 10 में और 12 में बंटवारे के तथ्यों से स्पष्ट इंकार किया है। अतः प्रतिवादी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि हेमसिंह द्वारा विवादित भूमि विभाजन के अनुसार प्राप्त की गयी थी। इस संबंध में वादी ने न्यायदृष्टांत **ललिता बनाम अजीत एआईआर 1991 म0प्र0 15** प्रस्तुत किया है जिसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि अविवादित संपत्ति का क़ेता संयुक्त कब्जा

प्राप्त नहीं कर सकता है। वह केवल विभाजन करवा सकता है। वर्तमान प्रकरण में भी हेमसिंह और उसके सहकृषकों का विभाजन होना प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः हाकिम प्र0सा01 किसी विशिष्ट भाग का कब्जा प्राप्त नहीं कर सकता है। उपरोक्त **ललिता** के न्यायदृष्टांत के आलोक में हाकिम प्र0सा01 मात्र विभाजन अस्तित्व में ला सकता है। किसी विशिष्ट भाग पर अधिपत्य का दावा नहीं कर सकता है लेकिन हाकिम प्र0सा01 सहअधिपत्यधारी न होकर सहस्वामी के रूप में स्वत्व प्राप्त कर सकता है जिससे मात्र अविभाजित संपत्ति होने के कारण विक्रय पत्र का संव्यवहार शून्य नहीं हो जाता है।

- 19- प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत AIR 1978 ALLAHABAD 221 Arun Kumar and others v. Smt. Chandrawati Agrawal and other में अभिनिर्धारित किया गया है कि

The provisions of S. 6 exclude a Hindu minor having a natural guardian as defined by the Act for his undivided interest in a joint family property. This would, therefore, exclude a natural guardian as understood by the Act applying for the permission of the Court under S. 8 (2) of the Act. The result would be that so long as the Hindu Law shall apply, a father or a natural guardian can alienate a minor's interest in corprcenary property subject to the well-known conditions regarding benefit of the estate etc.

20. अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिपादित विधि के अनुसार धारा 8 हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षण अधिनियम 1956 के अधीन प्राकृतिक संरक्षक को अनुमति लेने से बाहर रखा गया है परन्तु वह केवल हित के लिए संपत्ति हस्तांतरित कर सकता है। अवयस्क की संपत्ति के विक्रय के संबंध में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत भी उल्लेखनीय है AIR 1996 SUPREME COURT 2371 Sri Narayan Bal and others v. Sridhar Sutar and others में प्रतिपादित किया गया है कि

Under Section 8 a natural guardian of the property of the Hindu minor, before he disposes of any immovable property of the minor, must seek permission of the Court. But since there need be no natural guardian for the minor's

undivided interest in the Joint family property, as provided under Section 6 and 12 of the Act, the previous permission of the Court under Section 8 for disposing of the undivided interest of the minor in the joint family property is not required.

- 21- न्यायदृष्टांत AIR 2009 BOMBAY 6 Shripati s/o Santu Mane v. Goroba s/o Nivarti Ghutukade and Anr में प्रतिपादित किया गया है कि

So, in these circumstances, the appellant has proved that the transaction was for legal necessity as admitted by Chandrabhagabai in her cross-examination. The transaction was for the benefit of the respondents. So, in the circumstances, the transaction is binding on the respondents and it is legal and valid inspite of non-obtaining of permission from the District Court.

- 22- न्यायदृष्टांत AIR 2006 KARNATAKA 128 A. Chidananda and Ors v. Smt. Lalitha V. Naik and Ors में प्रतिपादित किया गया है कि

As a matter of fact finding, both the Courts below have held that the property was sold by the 1st defendant as a natural guardian and also in the absence of any such male member, she would very well act as a Manager and in that capacity, to meet out exigencies and also to discharge the antecedent debts of the family, she has sold the property which cannot be said to be either unreasonable or not necessary. More over, it appears for the benefit of the family after selling the suit property out of the amount realised, she also invested the money on purchasing two other properties. In such



circumstances, it cannot be said that the same was in contravention of S. 8 of the Act or no permission is required as per S. 8. More over, as is held by the Division Bench, the natural guardian of a minor has the necessary competence to deal with even the separate property of the minors. Nonetheless the natural guardian remains a guardian of the minors in other senses also. It is also emphasised that natural guardian who has a share in the property along with the minors' undivided interest in the property is legally competent to alienate the property as a whole. .. Under such circumstance, as is held by the Division Bench of this Court, there is legal competence to alienate the property as a whole by the guardian of the minor either in the capacity of the minor's guardian or as a Manager.

- 23- अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांत **श्रीनारायण बाल** में प्रतिपादित विधि के अनुसार अवयस्क के अविभाजित हित को बिना अनुमति के उसके हित के लिए हस्तांतरित किया जा सकता है। उपरोक्त न्यायदृष्टांत **श्रीपति माने** में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां पिता की मृत्यु हो गयी हो वहां मां नैसर्गिक संरक्षक होती है और वह विधिक आवश्यकता के लिए अवयस्क के अविभाजित हित को विक्रय कर सकती है और ऐसा संव्यवहार बिना न्यायालय की अनुमति से किए जाने पर भी बंधनकारी होता है। उपरोक्त न्यायदृष्टांत **ए.चिनन्दा** में इस संबंध में विस्तृत विधि प्रतिपादित की गयी है।
- 24- अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना के अनुसार यह प्रमाणित हुआ है कि हेमसिंह की मृत्यु अस्वस्थता के कारण हुई है जिसके उपचार में हेमसिंह के पिता अथवा भाइयों द्वारा योगदान किया गया यह प्रमाणित नहीं हुआ है और आय के अन्य स्रोत के अभाव में हेमसिंह के उपचार का व्यय कर्ज द्वारा नहीं दिया गया यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है। हेमसिंह की मृत्यु के बाद वादीगण को हेमसिंह के पिता, भाई अथवा उसकी संतान द्वारा रखकर भरण पोषण किया जाना भी प्रमाणित नहीं हुआ है। अतः ऐसी दशा में जबकि सुनीता प्र0सा03 के पास विवादित भूमि के अलावा आय का अन्यकोई स्रोत नहीं था और भूमि की आय भी पर्याप्त नहीं थी और हेमसिंह के भाई व पिता द्वारा भी वादीगण के भरण पोषण में सहयोग नहीं दिया गया है तब विक्रय संव्यवहार विधिक आवश्यकता के लिए ही किया जाना प्रमाणित होता है जिससे उपरोक्त न्यायदृष्टांत पर प्रतिपादित विधि के अनुसार विक्रय पूर्व अनुमति सुनीता प्र0सा03 के लिए आवश्यक नहीं थी अतः ऐसा विक्रय

संव्यवहार धारा 8 हिन्दू अप्राप्तवय और संरक्षता अधिनियम से बाधित न होकर वैध होना प्रमाणित होता है। अतः विक्रय पत्र प्र.पी.1 शून्य घोषित किए जाने योग्य प्रमाणित नहीं होता है जिससे वादप्रश्न क्रमांक 1 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

**// वाद प्रश्न क्रमांक 02 व 03 पर सकारण निष्कर्ष //**

25. राममोहन वा0सा01 ने कथन किया है कि वादीगण की संपत्ति की वही देखभाल और व्यवस्था कर रहा है। उक्त तथ्य प्रतिपरीक्षण के पैरा 16 में भी अखण्डित रहा है। छविराम वा0सा02 और प्रहलाद वा0सा03 ने भी राममोहन वा0सा01 के उक्त कथन का समर्थन किया है और उक्त तथ्य उक्त दोनों साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण के पैरा क्रमशः 7 व 10 में भी अखण्डित रहा है। हाकिम प्र0सा01 ने विवादित भूमि पर स्वयं का अधिपत्य बताया है और पैरा 8 में स्वयं के अधिपत्य न होने के सुझाव से इंकार किया है। सिरनाम प्र0सा02 ने भी हाकिम प्र0सा01 का विवादित भूमि पर कब्जा होना बताया है और पैरा 5 में राममोहन वा0सा01 की खेती होने से इंकार किया है। अतः इस संबंध में सुनीता प्र0सा03 की साक्ष्य महत्वपूर्ण रहती है। उसने मुख्यपरीक्षण में विवादित भूमि पर स्वयं का अधिपत्य बताया है। लेकिन पैरा 4 और 6 में विभाजन के तथ्यों की स्पष्ट साक्ष्य नहीं दे सकी है। प्रकरण में स्वीकृत है कि विवादित भूमि नाथूसिंह के स्वत्व की थी जिसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी को प्राप्त हुई। अतः विवादित भूमि सहदायिक संपत्ति होने से सहदायी अंश को क़य करने वाला सहअधिपत्यधारी नहीं हो सकता है और मात्र विभाजन कराने का ही अधिकारी है जिसके परिणामस्वरूप विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 1 का कब्जा होना प्रमाणित नहीं होता है परन्तु जबकि वादीगण द्वारा वैध रूप से विवादित भूमि का स्वत्व अंतरण किया गया है तब अधिपत्य त्यागने से विवादित भूमि पर सहस्वामी के रूप में वादीगण का भी अधिपत्य शेष नहीं रहता है। जिससे विवादित भूमि पर वादीगण का अधिपत्य होना प्रमाणित नहीं होता है और वादीगण के स्वत्व के अभाव में प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा वादीगण के अधिपत्य में हस्तक्षेप किए जाने का प्रयास करना भी प्रमाणित नहीं होता है।

26. अतः वादप्रश्न क्रमांक 2 व 3 का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

**// वाद प्रश्न क्रमांक 04 पर सकारण निष्कर्ष //**

27. चुनौतीगत विक्रय पत्र प्र0पी-1 के वादीगण पक्षकार हैं इस संबंध में न्यायदृष्टांत विशम्भर बनाम लक्ष्मीनारायण ए.आई.आर. 2001 सु.को. 207 में अभिनिर्धारित किया गया है कि अवयस्क की संपत्ति का अंतरण का संव्यवहार शून्य न होकर शून्यकरणी है।

28. वादीगण ने अभिवचन किया है कि भू राजस्व के बीस गुना के आधार 39 रुपये मूल्यांकन कायम कर स्वत्व घोषणा हेतु निश्चित न्यायशुल्क पांच सौ रुपये और स्थायी निषेधाज्ञा हेतु मूल्यांकन दो सौ रुपये कायम कर न्यायशुल्क सौ रुपये संदाय किया जाता है।

29. वर्तमान वाद में घोषणा का पारिणामिक अनुतोष निषेधाज्ञा नहीं है। निषेधाज्ञा हेतु वादी धारा 7(4)(डी) के अधीन इप्तिस अनुतोष की रकम का कथन करने को स्वतंत्र है जो वादी ने दो सौ रुपये किया है परन्तु विक्रय पत्र प्र.पी.1 को शून्य घोषित किए जाने की प्रार्थना के संबंध में उल्लेखनीय है कि विक्रय संव्यवहार

शून्यकरणी है और ऐसे संव्यवहार पर न्यायदृष्टांत **मोहम्मद जमील खां बनाम मिट्ठूलाल व अन्य ए.आई.आर. 1999 म.प्र. 70** में अभिनिर्धारित किया गया है कि ऐसे संव्यवहार में विक्रय को निरस्त कराये जाने की भी आवश्यकता है और मात्र घोषणा पर्याप्त नहीं है और ऐसी दशा में वादी को मूल्यानुसार न्यायशुल्क देय करना होगा। न्यायदृष्टांत **बद्रीलाल बनाम म0प्र0राज्य 1963 एम.पी.एल.जे. 717** में अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां कि अनुतोष का वास्तविक मूल्यांकन हो वहां अन्य मूल्यांकन अनुचित है वर्तमान प्रकरण में वादीगण एक लाख नब्बे हजार रुपये के किए गए संव्यवहार को शून्य घोषित कराना चाहते हैं अतः अनुतोष की वास्तविक कीमत है जिसके आधार पर मूल्यांकन होगा और धारा 7(4)(सी) के अधीन विक्रय पत्र प्र.पी.1 के प्रतिफल पर मूल्यानुसार 12प्रतिशत की दर से इस न्यायालय के समक्ष न्यायशुल्क देय होगा। अतः बाईस हजार आठ सौ रुपये न्यायशुल्क देय होगा जो वादीगण द्वारा संदाय नहीं किया गया है। अतः यह साबित नहीं होता है कि वादीगण ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया है।

30. अतः इस वादप्रश्न का विनिश्चय नासाबित के रूप में दिया जाता है।

**//वाद प्रश्न क्रमांक 05 पर सकारण निष्कर्ष//**

31. उपरोक्त वादप्रश्नों पर प्राप्त विनिश्चय के आधार पर वादीगण अपना वाद सिद्ध करने में असफल रहे हैं। वादीगण का नियुक्त वादमित्र राममोहन वा0सा01 द्वारा उपरोक्त विवेचना अनुसार अवयस्क वादीगण को संरक्षता प्रदान न कर उन्हें भरण पोषण भी संदाय नहीं कर रहा है। अतः राममोहन वा0सा01 वादीगण का वादमित्र होकर उनके हित में कार्य कर रहा है यह भी प्रमाणित नहीं होता है। अतः वाद अस्वीकार कर प्रकरण निम्नानुसार आज्ञप्त किया जाता है।

1. वाद अस्वीकार किया जाता है।

2. वादीगण और प्रतिवादीगण अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ी जाये।

तदानुसार आज्ञप्ति बनाई जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित

मेरे बोलने पर टंकित

एवं दिनांकित कर घोषित किया गया

सही /—

सही /—

(गोपेश गर्ग)

(गोपेश गर्ग)

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0